अध्याय-पहला

विभाजन के काल की परिस्थितियाँ

विभाजन के काल की परिस्थिति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजन के पूर्व की परिस्थिति सन् १९१९ से १९४७ ई. तक तथा विभाजन के बाद की परिस्थिति सन् १९४७ ई. से वर्तमान तक। १९१९ ई.के. भारत सरकार अधिनियम की स्वीकृति के साथ पहले काल का प्रारंभ हुआ तथा इसकी समाप्ति भारत की स्वतंत्रता के साथ सन् १९४७ ई. में हुई। इस काल को गाँधी युग भी कहा जाता है। इसी समय पाकिस्तान के विचार ने जन्म लिया तथा पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ।

** विभाजन के पूर्व की परिस्थितियाँ :-

राजनीतिक परिस्थिति :-

वंग - भंग के एक वर्ष बाद ही अँग्रेजों की कूट - नीति के कारण सन् १९०६ ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता - आन्दोलन की आड़ में काँग्रेस की शान्ति को दुर्बल करना, उसे साम्प्रदायिक प्रमाणित करना तथा साम्प्रदायिकता की नींव को दृढ़तर करते हुए सम्पूर्ण देश को अन्तर्कलह की अग्नि में झोंक देना था। अँग्रेजों की आशा के अनुरूप ही राष्ट्रीय आन्दोलन में दरारें पड़ीं और सन् १९०७ ई. के सूरत अधिवेशन में काँग्रेस दो दलों में विभक्त हो गयी। "काँग्रेस का जो थोड़ा बहुत सम्पर्क जनता से बन पाया था वह भी वह पूर्णत: विच्छिन्न हो गया और नरम दल के नेतृत्व में जीवित रहनेवाली काँग्रेस "राजभक्ति की परेड" मात्र बनकर रह गयी।"[1]

सन् १९२० से असहयोग आन्दोलन का आरम्भ हुआ। काँग्रेस के नेताओं में आपस में मतभेद हो गया। देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी नाम से काँग्रेस संगठन के अन्तर्गत ही एक अलग दल का निर्माण किया। उधर जनता में साम्प्रदायिक भावना भी तेजी से बढ़ रही थी। मुस्लिम लीग का निर्माण हो चुका था और उसके नेता अपने अलग राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखने लगे थे। यह साम्प्रदायिक

वैमनस्य उस समय और भी चरम - सीमा पर पहुँच गया, जब १९२४ में दंगों से दु:खी होकर महात्मा गाँधी ने २१ दिन का अनशन किया था।[२]

सन् १९३७ में द्वितिय महायुद्ध के पश्चात् भारतीय राजनीति में मिस्टर मुहम्मद अलि जिन्ना का काँग्रेस के विरोधी रुप में आगमन हुआ। इसके पूर्व वे काँग्रेसी थे। लेकिन साम्प्रदायिक मतभेदों के कारण वे काँग्रेस से अलग हो गए। फलत: उन्होंने विरोध के स्वर में १४ सूत्री कार्यक्रम उपस्थित किया। सब से महत्त्वपूर्ण माँग यह थी कि भारतीय केन्द्रीय-धारा सभा में मुसलमानों के लिये एक तिहाई स्थान सुरक्षित रहे॥ साथ ही, यह भी कि, बंगाल और पंजाब की प्रान्तीय धारासभाओं में भी मुसलमानों की संख्या के अनुसार उनकी सदस्य संख्या स्थिर और सुरक्षित रहे। इसीप्रकार उत्तर भारत में सिखों ने भी कुछ असंभव माँगें पेश कीं। हिन्दू महासभा ने हिन्दुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग और सिखों की माँग को नामंजूर करने की सिफारीश की। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू महासभा, मुस्लिम - लीग तथा सिखों की अपनी अलग - अलग माँगों के कारण अँग्रेजों ने इसका लाभ उठाया।[३]

२६ मार्च १९४० को हिन्दुस्थान को जबर्दस्त धक्का लगा क्योंकि उसी दिन लाहोर परिषद में मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित माँगों को प्रस्तुत किया -

१. भारत सरकार द्वारा सन् १९३५ ई. को अधिनियमित योजनायें इन परिस्थितियों में अयोग्य तथा अकार्यक्षम होने के कारण वह सारी भारतीय मुस्लिम जनता को पूर्णत: अमान्य हैं।

२. १८ अक्तूबर १९३९ ई. में ब्रिटिशों द्वारा अधिनियमित इस योजना के बारे में स्पष्टीकरण करते हुए वायसराय ने घोषित किया था कि, इस योजना को कार्यान्वित तभी किया जायेगा जब इसे विभिन्न दलों अथवा संघटनों द्वारा मान्य किया जायेगा। इसलिए जबतक इन अधिनियमों

पर परिपूर्ण विचार विमर्श नहीं होंगे, तब तक मुस्लिम समाज इस पर संतुष्ट नहीं होगा, तथापि संबंधित योजनाओं को भी मुस्लिमों की स्वीकृति के अलावा मंजूर नहीं किया जाएगा ॥ जैसा कि, -

[अ] भौगोलिक दृष्टि से एक - दूसरे से मिले हुए प्रदेश एक भिन्न - भिन्न प्रान्तों के स्वरूप में परिवर्तित होकर उसी प्रदेश में पुर्नस्थापित हों॥

[ब] उस प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यंक होने चाहिए॥ जैसा कि,

[क] उत्तर - पश्चिम तथा पूर्वभारत में है। ऐसे ही प्रदेशों का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समन्वय हो॥ और वही -

[ड] मूलभूत, अभिन्न, स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्र हो ।

३. ऐसे प्रदेशों के अल्पसंख्यंक लोगों की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय प्रशासकीय एवं अन्य अधिकारों की पूरी रक्षा की व्यवस्था उस अधिनियम में हो॥ ऐसी ही हिन्दुस्तान के अन्य भागों में स्थित अल्पसंख्यंक मुस्लिमों की व्यवस्था हो।

४. इस अधिनियम में राज्यों के मार्फत संरक्षण, बाह्य कारोबार, आयात - निर्यात की व्यवस्था आदि अधिकारों का भी समावेश होगा॥[४]

मुस्लिममों की उपर्युक्त मांगों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि, इनमें मुस्लिमों का उद्देश्य यह है कि, - जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यंक, हैं, उसको स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की मान्यता मिले॥ जैसा कि, पंजाब, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रान्त, बलुचिस्तान सिन्ध तथा पूर्वभारत आदि प्रान्त ब्रिटिशों के आधिपत्य में न रहकर स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के रूप में घोषित किया जायें ।

जिस योजना को सर महम्मद इकबाल जी ने दिसम्बर १९३० ई. के लखनऊ परिषद में अपने एक भाषण द्वारा प्रस्तुत किया था, पर उसवक्त

उसको स्वीकार नहीं किया गया था, तदुपरान्त श्री. रहमत अलि जी ने इस योजना को उभर उठाया, और उन्होंने ही इसको पाकिस्तान नामाभिधान दिया । श्री. रहमत अलि जी ने सन १९३३ ई. में ही पाकिस्तान के आन्दोलन की नींव डाली ।[५] उन्होंने सम्पूर्ण भारत को पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान इन दो भागों में विभक्त किया । उनके मतानुसार पाकिस्तान मे पंजाब, उत्तर - पश्चिम सीमान्त प्रदेश काश्मीर सिंध और बलुचिस्तान आदि का प्रमुखता से समावेश था, और बाकी का भाग हिन्दुस्तान के रूप में रहा।

उनके विचार से उन्हें पाकिस्तान के रूप में एक स्वतंत्र अस्तित्व मिले, उसमें उत्तर के पाँचों मुस्लिम राज्यों का समावेश हो । इस प्रस्ताव को गोलमेज परिषद के सामने रखा गया पर इसको मान्यता नहीं मिली। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सम्मती लेने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने भी इसे मुस्लिम साम्राज्य की पुनरावृत्ति "[६] कहकर अस्वीकृत किया। बिहार और आसाम के मुस्लिमों को एकत्रित करके लीग ने पाकिस्तान की प्रारम्भिक योजना की शुरआत की। पर मुस्लिम राज्यों का नामाभिधान अभीतक नहीं किया गया था। बल्कि सर महम्मद इकबाल और श्री. रहमत अलिजी की भावनाओं का इस योजना के अंतर्गत समावेश किया गया। "दो राष्ट्र" सिद्धान्त प्रस्तुत करनेवाली लीग ने "उत्तर का पश्चिम पाकिस्तान" और पूर्व का "पूर्व पाकिस्तान" नाम से भारत का विभाजन किया ।

गोलमेज परिषद में मुसलमानों ने अपनी योजना के अन्तर्गत १४ माँगों को रखा पर उन माँगों को हिन्दू प्रतिनिधियों ने अस्वीकृत किया पर ब्रिटिश सरकारने हस्तक्षेप करके साम्प्रदायिक वर्ग का निर्णय दिया, फलस्वरूप उनकी १४ माँगों को मान्यता मिली । - और इसी कारण हिन्दुओं में उनके प्रति कटुता का निर्माण हुआ, और दोनों में साम्प्रदायिक आन्दोलन की शुरआत हुई। जब केन्द्रीय मंत्रि - मंडल में इस निर्णय के विरोध में प्रस्ताव रखा गया तब काँग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की व तटस्थ रही, काँग्रेस के इस रुख की मुस्लिमों ने प्रशंसा की। जब हिन्दु बहुसंख्यंक प्रान्तों

में कॉंग्रेस की जीत हुई तब मुस्लिमों को किसी बात का भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वे ऐसा सोचने लगे कि, "दोनों मिलकर समझौते से शासन की बागडोर सँभालेंगे। पर उन्हें जब यह पता चला कि, कॉंग्रेस ने अपने २७ महीनों के शासनकाल में मुस्लिमों को धोखे में रखा तब उनका भ्रम दूर हो गया और वे हिन्दुओं के कड़े शत्रु बन गये। २२ दिसम्बर १९३९ ई. के मुक्ति दिन आन्दोलन में मुसलमानों ने इसका विरोध जाहीर किया। यह विरोध केवल कॉंग्रेस पर नहीं था, तो उस मुस्लिम गोलमेज परिषद पर भी था जो अब तक स्वराज्य की मॉंग का समर्थन कर रही थी वही अब उसका खुले रूप में विरोध कर रही थी।"[७] और अन्त में मार्च १९४० में उन्होंने लाहोर प्रस्ताव के द्वारा पाकिस्तान की मॉंग उपस्थित की।[८]

"जापान के आक्रमण से भारत को खतरा है," यह कहकर ब्रिटिश सरकार ने मार्च १९४२ ई. में मजदूर दल के नेता स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स योजना यह थी कि, "जातीय तनावों को दूर करने के लिये मंत्रि - मंडल की रचना तथा अधिकारों का अधिक महत्त्व है। अल्पसंख्यकों को केवल संरक्षण ही नहीं चाहिए तो, सत्ता में उनका हिस्सा भी चाहिए। इसलिए प्रांतीय सरकार संमिश्र सरकार है इसकी योजना घटना में होनी चाहिए।"[९]

क्रिप्स मिशन वास्तव में भारत के लिये हानिकारक सिद्ध होनेवाला था जिसमें अल्पसंख्यकों को लेकर फूट डालने की तथा भारत का विभाजन करने की योजना थी। यही नहीं और भी अनेक कारण थे जिनकी वजह से न केवल कॉंग्रेस ने, बल्कि मुस्लिम लीग तथा अन्य संस्थाओं और राजनैतिक दलों ने भी क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया था। अत: भारत में तब सन् १८५७ ई. की क्रान्ति के समान ही एक प्रचन्ड क्रान्ति हुई जिसे "अगस्त क्रान्ति" का नाम दिया गया।[१०]

मुस्लिमों की कॉंग्रेस से नाराजगी के कारण हैं। कॉंग्रेस के शासनकाल में मुस्लिमों को अनेक जुल्म तथा अत्याचार सहने पड़े पर निम्नलिखित दो मुद्दों पर ही अधिक जोर दिया गया -

१. मुस्लिम - लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था के रूप में कॉंग्रेस ने मान्यता नहीं दी।

२. कॉंग्रेस के प्रान्त में भी कॉंग्रेस तथा मुस्लिम लीग की सम्मति से मंत्रिमंडळ की रचना हो यह मॉंग भी कॉंग्रेस ने अमान्य की।[११]

इसमें से पहले मुद्दे पर ही कॉंग्रेस तथा मुस्लिम - लीग दोनों अड़े रहे। हिन्दुओं ने मुस्लिमों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए उनका उपहास भी किया॥ कॉंग्रेस की इस प्रतिक्रिया को देखकर मुस्लिम - लीग नाराज हो गयी और विभाजन के बारे में सोचने लगी। मुस्लिमों की यह धारणा पक्की हो गयी थी॥ कि, कॉंग्रेस इसीतरह मुस्लिमों में आपसी फूट पैदा करके उन्हें निर्बल बनाना चाहती है। इसवक्त मुस्लिमों में विभाजन की बात पक्की हो गयी, उनका मत था कि, "इसतरह अपमानित जिंदगी से जीने से बेहतर है, अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जिसमें आगे चलकर भविष्य में हिन्दू मुस्लिम संघर्ष का सामना तो नही करना पड़े। हिन्दुओं की गुलामी से मुक्ति तो मिलेगी॥"[१२]

पाकिस्तान के विरोध में हिन्दुओं के विचार कुछ इस प्रकार के थे -[१]

[१] इस योजना के कारण देश की एकता नष्टहो जायेगी।

[२] इस योजना के कारण देश की संरक्षण व्यवस्था निर्बल हो जायेगी। क्योंकि उसवक्त सैन्य में मुस्लिम बहुसंख्यक थे।

[३] इस योजना के अंतर्गत जातीय - समस्याओं का निराकरण नहीं होगा।[१३]

और इसीवक्त मि. जिन्ना भी पाकिस्तान के निर्माण पर बड़ा जोर देने लगे। श्री. राजगोपालाचारी जी ने सर्वदल नेता - सम्मेलन किया॥ उनका भी यही मत था कि, पाकिस्तान की समस्या को सुलझाये बिना समस्या का कोई समाधान संभव नहीं है। उन्होंने दो राष्ट्रोंवाला सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था और १२ अप्रैल को बंगलोर में मुहम्मद साहब के जन्म - दिन के अवसर पर उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना का

समर्थन करते हुए कहा था कि - "मैं पाकिस्तान का इसलिए समर्थक हूँ कि मैं ऐसे राज्य की स्थापना नहीं चाहता, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही का सम्मान न किया जाता हो। मुसलमानों को पाकिस्तान ले लेने दो। यदि हिन्दू - मुसलमानों में समझौता हो जाता है तो देश की रक्षा हो जायेगी। यदि अँगरेजों ने और कोई ने और कोई कठिनाई उठायी तो हम उसपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे॥ मैं पाकिस्तान का समर्थक हूँ, किन्तु मेरे ख्याल में कॉंग्रेस पाकिस्तान को नहीं मानेगी॥ कॉंग्रेस के बाग में फूल लगे हुए हैं, किन्तु बाग का द्वार बन्द है और मुझे निकट जाकर उन्हें चुनने नहीं दिया जाता।"[१४]

मि. जिन्ना भी पर्याप्त उत्साहित थे और उन्होंने मुस्लिम लीग के २४ वें अधिवेशन के अवसर पर सन् १९४३ ई. में कहा - -"यदि गांधीजी पाकिस्तान के आधार पर मुस्लिम - लीग से समझौता करने को तैयार हो जाय जायँ तो मुझसे अधिक खुशी और किसी को न होगी॥ मैं आपसे कहता हूँ कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये वह बड़ा शुभ दिन होगा।"[१५]

अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा भारत में आए दिन होनेवाली घटनाओं से निर्मित आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रख इंग्लैंड की पार्लियामेण्ट ने १६ फरवरी १९४६ ई. को एक मिशन की घोषणा की और बताया कि उक्त मिशन भारतीय लोकमत के नेताओं से मिलकर भारत की राजनीतिक स्वाधीनता की योजना प्रस्तुत करेगा। मिशन अपने प्रयत्नों में असफल रहा और उसने परामर्श दिया कि नया संविधान बनने तक वायसराय अपनी कैबिनेट का ऐसी रीति से निर्माण करे कि उसमें देश के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि हो और उसे अस्थायी सरकार का रूप दिया जा सके। लीग और कॉंग्रेस का समझौता न होनेपर वायसराय ने १६ भारतीय सदस्यों की एक कौंसिल की घोषणा कर दी।

मुस्लिम - लीग ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान की माँग पर जोर दिया। सारे देश में लीग ने १६ अगस्त १९४६ ई. को.

"प्रतिवाद दिवस" मनाने की घोषणा की । इस सीधी कार्यवाही का उद्देश्य था "पाकिस्तान प्राप्त करना, मुसलमानों के न्यायसंगत अधिकारों का दावा करना और वर्तमान अँग्रेजों की गुलामी और भविष्य में हिन्दुओं की कल्पित गुलामी से छुटकारा लेकर अपना राष्ट्रीय आत्मसम्मान प्राप्त करना।" बंगाल के लीग मंत्रिमंडळ ने उस दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित की। परिणामस्वरूप कलकत्ता में जो खूनी उत्पात हुआ वह भारतीय इतिहास की एक दु:खद घटना है। हजारों हिन्दुओं के घर लूट लिये गए, सैकडों जला दिये गये और अनगिनत व्यक्ति घायल किये गये। दो दिन के बाद जब हिन्दू संगठित हो गये, तो उन्होंने उत्पात का उत्तर उत्पात से देना शुरू किया॥ सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए और कलकत्ता, नोआखाली और बिहार के भीषण दंगे भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ बनीं।[१६]

पंजाब में भी साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड प्रारम्भ हो गया। नेहरू सरकार इन दंगों को रोक नहीं पा रही थी क्योंकि सेना वायसराय के अधिकार में थी। दंगों को रोकने के लिये पूरी सत्ता शीघ्र ही हस्तान्तरित करनी आवश्यक थी। अत: कॉंग्रेस को पाकिस्तान की मॉंग स्वीकार करनी पड़ी, जिससे राष्ट्र तथा जानमाल आदि की रक्षा की जा सके। क्योंकि यह डर था कि वे दंग सम्पूर्ण भारत को ग्रस्त कर लेंगे और फिर भयानक स्थिति पैदा होगी। गांधीजी इसके विरोध में थे और इसे उन्होंने "एक आध्यात्मिक दुर्घटना" और ३२ वर्षों के सत्याग्रह - संग्राम का लज्जाजनक परिणाम बताया।"[१७]

किन्तु किसीतरह विरोधों द्वन्द्वों से उभर उठकर सरकार बनी ही। आजाद और जवाहर नेहरू दोनों को लीग और जिन्ना की सिफारिशें स्वीकार करनी पड़ीं॥ और बहुत सारे प्रयासों के बाद जिन्ना का सहयोग मिला और वायसराय के माध्यम से उन्हें यह सूचना मिली कि, "कॉंग्रेस लीग को वित्त विभाग देने के लिए प्रस्तुत है। यद्यपि जिन्ना को यह विश्वास नहीं था कि लियाकत अली खाँ इस योग्यता का निर्वाह कर पायेंगे।"[१८]

इस निर्णय ने मानो भारतीय एकता को नष्ट कर दिया। गृह मंत्रालय का संचालन करते हुए सरदार पटेल को अत्यन्त कटु अनुभव हुए। चपरासी तक की नियुक्ति के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और लियाकत अलि कुरेद - कुरेदकर विलम्ब, उपेक्षा तथा उवज्ञा के द्वारा उन्हें यह अनुभव करा देना चाहते थे कि लीग और कॉंग्रेस का संयुक्त प्रशासन देश में कभी संभव नहीं है। इसीलिए राजगोपालाचारी के बाद सरदार पटेल दूसरे महत्त्वपूर्ण कॉंग्रेसी नेता थे, जिन्होंने व्यक्तिगत अनुभव, विश्लेषण मार - काट, खून - खराबी तथा पीड़ादायक निष्कर्ष से विवश होकर यह निर्णय किया कि देशको विभक्त ही कर लिया जाय।"[१९]

श्री. पटेल ने अपना विवशता प्रेरित यह अभिमत सबसे पहले देश की एकता के प्रबल समर्थक श्री. अबुल कलाम आजाद के सम्मुख प्रस्तुत किया, उन्होंने यह सूचना नेहरू जी को दी, नेहरू जी ने पटेल का समर्थन किया और, "इस स्तर पर स्वतंत्रता की उपलब्धि का कोई अर्थ ही नहीं माना।[२०] गोविंद वल्लभ पंत ने यहाँ तक कहा कि, - "पाकिस्तान देना अथवा आत्महत्या करना - इन दो में से किसी एक को चुनना है।" [२१]
श्री पटेल और नेहरू की बातचीत के बाद नेहरू ने भी आजाद के तर्कों का अ उपयोग किया। अत: आजाद म. गांधी के पास पहुँचे इस नयी विपत्ति की व्यथा महात्मा जी को हुई ही। उन्होनें कहा, "यदि भारत का भविष्य यही होना है तो ऐसी स्वतंत्रता उनके शव के ऊपर से होती हुई निर्मित हो सकेगी।"[२२] अंतत: गाँधीजी ने भी इसको मान्यता दी और भारतीय स्वतंत्रता - दिवस के कुछ घण्टे पूर्व ही पाकिस्तान का निर्माण हो गया।

इसी वक्त ब्रिटिश सरकार भी भारत छोड़ने के लिये तैयार थी। सरकार ने घोषणा कर दी कि, "पंजाब तथा बंगाल के मुस्लिम बहुमत भाग, सीमाप्रान्त सिन्ध तथा आसाम का कुछ भाग मिलाकर पाकिस्तान के नाम से एक स्वतन्त्र राज्य होगा। शेष भारत राज्य कहलायेगा। इन दोनों राज्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी तथा अपनी इच्छानुसार ब्रिटिश साम्राज्य से संबन्ध रख सकेंगे।[२३]

देशी रियासतों को सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता दी कि इन दोनों राज्यों में से किसी भी एक राज्य में सम्मिलित हो जायें। जो सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना चाहती थी, उसने ही भारत का विभाजन किया, इससे राष्ट्रीय व सरकार के सामने रियासतोंकी समस्या हमेशा के लिये पैदा हो गयी। कश्मीर समस्या इसी का परिणाम है। अन्तत: १५ अगस्त १९४७ ई. को भारत पाकिस्तान दो स्वतन्त्र राज्य बन गये।

**सामाजिक परिस्थि :-

भारत में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण मूलत: ब्रिटिश कूटनीति की उपज है। कॉंग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन की उग्रता सरकार की चिन्ता का विषय बन गयी, अत: यह प्रचार किया कि कॉंग्रेस मात्र हिन्दुओं की संस्था है और फलत: कुछ मुसलमान नेताओं ने अपने सम्प्रदाय के हितों की रक्षा के लिये सन् १९०६ ई. में मुस्लिम - लीग की स्थापना की। मार्ले मिन्टो सुधार योजना में मुस्लिम - लीग की साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की मॉंग मान ली गई। मुसलमानों को विशेषाधिकार मिलते देखकर यह स्वाभाविक था कि हिन्दुओं में इसकी प्रतिक्रिया होगी, फलत: हिन्दू महासभा की नींव पड़ी जिसका उद्देश्य हिन्दुओं के हितों की सुरक्षा करना था । अपने हितों की रक्षा की दौड में भविष्य तथा स्वातंत्र्य के लिये प्रयत्न न करके वर्तमान प्रतियोगिता में ही एक - दूसरे से पहले बाजी मार लेना चाहते थे। इसीके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक कटुता बढ़ी ।

साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ में देश की शक्ति बिखरने लगी। दोनों दलों ने सामान्य जनता की उपेक्षा करके धनी तथा सामन्तवर्ग का आश्रय लिया। मुसलमान ऐतिहासिक कारणों से पिछड़ा होने से उनका नेतृत्व सामन्त वर्ग ही करता रहा। इस्लाम धर्म की कट्टरता वह कवच थी, जिससे यह नेता मुस्लिम जनता का समर्थन पा लेते थे । हिन्दू महासभा के साथ भिन्न स्थिति थी। मुसलमान बहुमत प्रान्तों में बहुधा मुसलमान गरीब थे तथा साहूकार जमींदार वर्ग हिन्दू होने के कारण उसका शोषण करता आया था, अत: कटुता का पर्याप्त कारण था, जो साम्प्रदायिक रूप ले लेता था।

इस युग में भारतीय समाज, चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम समाज दोनों में नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। युगों से भारतीय समाज की गति अवरुद्ध हो गई थी, और जड़ता की इस सीमा तक अधोगति हो चुकी कि पीड़ित तथा दलित वर्गों के प्रति अमानुषिक, अमानवीय, व्यवहार का विरोध करने की बात दूर रही बल्कि उसे धर्म की स्वीकृती मिल गयी, इससे इस काल में साम्प्रदायिक विद्वेष को और बढ़ावा मिला। इस काल में नारी - वर्ग ही सर्वाधिक पीड़ित रहा। अंग्रेजी शिक्षा तथा आधुनिक सभ्यता से सम्पन्न पुरुष - वर्ग के लिये परिवार में अशिक्षित परंपरागत रूढ़िबद्धता सामाजिक, मानसिक, दासता में बँधी नारी के साथ सामंजस्य करना कठिन प्रतीत होने लगा। इन सब से मुक्ति पाने के लिये नारी स्वतन्त्रता - आन्दोलन में कूद पड़ी। महात्मा गाँधीजी ने अस्पृश्यता निवारण - अनमेल विवाह, बालविवाह, विधवा - विवाह, पर्दा - प्रथा, मादक द्रव्यों का निषेध, स्त्रियों की उन्नति, नारी - शिक्षा आदि सामाजिक विषयों को १८ सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा। [२४]

सन् १९२३ ई. के आरम्भ में साम्प्रदायिक मतभेद के कारण देश का राजनीतिक वातावरण फिर विषाक्त हो गया। इस वर्ष मुहर्रम में बंगाल और पंजाब में भयंकर दंगे हुए। सन १९२५ ई. और १९२६ ई. के मध्यतक साम्प्रदायिक दंगे होते रहे। इन दंगों के बारे में १ मई १९२५ ई. को महात्मा गांधी ने कलकत्ता के मिर्जापुर - पार्क में कहा था, "मैं यह कहकर संतोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते हैं तो एक - न - एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा और यदि हमारे भाग्य में यही है कि एक होने से पहले हमें एक - दूसरे का खून बहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह हैकि जितनी जल्दी हम यह कर डालें हमारे लिये उतना ही अच्छा है।" [२५]

सन् १९२५ ई. में जुलाई महीने भर कलकत्ता, लाहोर, दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों में साम्प्रदायिक दंगे होते रहे। ८: सप्ताह तक कलकत्ता में हत्याकाण्ड, अग्निकाण्ड होता रहा। सैकड़ों व्यक्ति इस काण्ड के ब शिकार हुए इसवक्त साम्प्रदायिक, स्थिति, विभाजन की बढ़ती माँग,

बढ़ते पूंजीवाद, सामन्तवाद आदि के कारण किसानों की स्थिति बुरी हो गयी थी । खेती छोड़कर मजदूर बनते जा रहे थे।[२६]

वस्तुत: ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल एक ऐसे निर्माण का काल था, जिसमें कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियाँ एक - दूसरे को छूती हैं । इस काल में स्वतंत्रता से संबंधित संघर्ष तथा जमींदारी और पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित आर्थिक विषमता, स्त्री के प्रति भावहीन विचारधाराएँ उभर रही थीं ॥ इस काल में जमींदारों के अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचार, स्वार्थमय अमानवीय व्यवहार, उच्च जातियों का नीची जातियों के प्रति दुर्व्यवहार आदि इसवक्त की सामाजिक बुराइयाँ हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य द्वारा फूट पड़ी थीं, जैसा कि, अनमेल - विवाह अंध - विश्वास, संकीर्णता आदि ॥

इसवक्त पंजाब, बंगाल, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए जिस के प्रायश्चित के लिये गाँधीजी ने उपवास किया था ॥ इसतरह इस काल के हिन्दू - मुस्लीम विसाद सामाजिक, राष्ट्रीय एकता में बाधा निर्माण कर रहे थे॥

** आर्थिक परिस्थिति :-

विभाजन के पूर्व साम्प्रदायिक वैषम्य से उत्पन्न पूंजीपति - वर्ग, सामन्तवर्ग, आदि के कारण सामान्य लोगों की आर्थिक परिस्थिति गिर गई। इन साम्प्रदायिक विद्वेषों के कारण मध्यवर्ग की स्थिति विचित्र हो गयी थी। उद्योग नष्ट हो चुके थे, उन पर आश्रित परिवार उजड़ चुके थे। जैसे, मध्यवर्ग में पलते भ्रष्टाचार, मिलावट, चोर - बाजारी, अनैतिकता पूंजीवादी सभ्यता की देन है, वैसे हिन्दू और मुसलमान में परस्पर वैमनस्य भी साम्राज्यवाद की देन है, इसी साम्राज्यवाद की छाया में पूंजीवाद ने जन्म लिया, और किसान - मजदूर समस्या का निर्माण हुआ। इसवक्त की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति के कारण आर्थिक परिस्थिति में बिखराव - सा आ गया था॥

इसवक्त का मुस्लिम समाज अनपढ़ होने के कारण उसे अच्छी जगहों पर नौकरी नहीं मिलती थी, और इसके विपरीत हिन्दू शिक्षित होने के कारण उसे अच्छी जगहों पर नौकरियाँ प्राप्त थीं, इसतरह यह आर्थिक वैषम्य हिन्दू - मुस्लिम संघर्ष का कारण था। और इसी वैषम्य को मिटाने के लिये मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत विभाजन की माँग ने जोर पकड़ लिया।

भारतीय मुस्लिमों के राजनीतिक -ह्रास का कारण भी यह आर्थिक वैषम्य ही है, गरीब मुस्लिम जनता अमीर हिन्दुओं से कोई भी समझौता नहीं करना चाहती थी, जमींदारों के अत्याचारों को रोकने के लिए गरीब मुस्लिम किसान हिन्दू किसानों से नहीं मिलेगा, पूंजीवाद विरोधी संघर्ष में मुस्लिम मजदूर हिन्दू मजदूरों का साथ नहीं देगा यह ऐसा क्यों ? इसका जवाब आसान है। उन्हें ऐसा लगता है कि गरीब मुस्लिम अमीर - विरोधी संघर्ष में अगर गरीबों का साथ देगा तो उसे मुस्लिम अमीरों के साथ भी संघर्ष करना पड़ेगा, छोटे मुस्लिम किसान को ऐसा आभास होता है कि, अगर जमींदारों के विरोधी संघर्ष में हिस्सा लिया तो उसे मुस्लिम जमींदारों के विरोधी संघर्ष में भी भाग लेना पड़ेगा। मुस्लिम मजदूर को ऐसा लगता है कि अगर हमने, पूँजीवादियों के विरोधी संघर्ष में मजदूरों का साथ दिया तो हमको मुस्लिम मिल - मालिकों के साथ भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम अमीर, जमींदार या मिल मालिक के ऊपर कोई आघात किया तो वह सारे मुस्लिम सम्प्रदाय के लिये हानि होगा, और इसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं के विरोधी संघर्ष में शिथिलता आयेगी।[२७]

इसी धारणा के कारण मुस्लिम जनता अपनी आर्थिक स्थिती को सुधार न सकी॥ इसतरह इस काल में किसानों तथा मजदूरों की स्थिती अत्यंत दयनीय थी, यह काल पूँजीपति - वर्ग के उत्थान का प्रतीक है॥

** साहित्यिक परिस्थिति :-

इस काल में भारत के इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएँ हुई, जिनसे भारतवर्ष की राजनीति, स्वतन्त्रता - आन्दोलन, साम्प्रदायिक एकता आदि कई कोणोंसे उभर रही थी। इसवक्त साम्प्रदायिकता एक पिशाच के रूप में आयी। मुस्लिम लीग कॉंग्रेस से अलग हो चुकी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिन्दू - महासभा का अखिल भारतीय स्तरपर संगठन हुआ था। मुलतान, पंजाब, बंगाल, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलहाबाद में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए, गांधीजी ने इस घटना का कड़ा विरोध किया, "इसवक्त गांधी जी का राष्ट्रीय चरित्र एक समस्या के रूप में लेखकों के सामने आया। प्रेमचन्द के "कर्बला" नामक नाटक और "कायाकल्प" में इस स्थि का विश्लेषण किया है।[२८]

इस काल के अधिकांश साहित्य में हिन्दू - मुस्लिम एकता का ही प्रयास किया गया है। इस काल के साहित्यकारों ने हिन्दू - मुस्लिम विद्वेष को मिटाने का बहुत प्रयास किया है। धर्म के सिद्धान्त किस प्रकार व्यक्ति के स स्वार्थ, द्वेष, हत्याओं के कारण बनते हैं, इसको उन्होंने स्पष्टता और निर्भीकता से अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया था। रूढ़ियों और अन्धपरम्पराओं का कड़ा विरोध किया, समाज के नग्न रूपों का भी चित्रण हुआ है, जिसे समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने साहित्य में वेश्याओं, जुआरियों, शराबियों, पाखंडी पंडे और पुजारियों अर्थ लोलुप पूँजीपतियों का सच्चा और यथार्थ चित्रण किया है, जिससे उनकी सुधारवादी प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। उदाहरणार्थ, उग्र जी की जल्लाद, उसकी माँ, प्रायवेट इन्टरव्यू मुर्दा, बीभत्स आदि रचनाओं में इन्हीं सामाजिक कुरीतियोंपर प्रहार किया गया है।[२९]

यशपाल जी ने भी अपने साहित्य में हिन्दू - मुस्लिम विद्वेष का कड़ा विरोध किया है। - "हिन्दू और मुसलमान में परस्पर वैमनस्य भी

साम्राज्यवाद की देन है। समाजवादीरा राष्ट्र के लिये यह कलंक है। हम क्यों आपस में लड़ें ।"[30] यशपाल ने सामन्तवादी संस्कृति का विरोध करके, समाजवादी विचारों का प्रसार किया। उन्होंने मध्यवर्ग में पलते भ्रष्टाचार, मिलावट, चोरबाजारी, अनैतिकता के चित्र प्रस्तुत करके पूँजीवादी सभ्यता का विरोध किया है।

इसवक्त के साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से एक राजनैतिक नेता का ही कार्य किया है। सन् १९२१ ई. और १९४७ ई. के आस - पास के साहित्य में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव दिखायी देता है। इस काल का लेखक मूलत: महात्मा गांधीजी से प्रभावित रहा है, इसलिए उसने अपने साहित्य में हिन्दू - मुस्लिम ऐक्य, अछूतोद्धार, दीन दु:खियों के चित्र, विधवा - विवाह का समर्थन आदि यथार्थों को चित्रित कर देश के तत्कालीन सामाजिक सुधार में योगदान दिया है।

** विभाजन के बाद की परिस्थितियाँ :-

* राजनीतिक परिस्थिति :-

१५ अगस्त १९४७ ई. में देश स्वतंत्र हुआ साथ ही देश का विभाजन भी हुआ, देश की सीमा पर खून की होली खेली गई। लाखों लोग मारे गए। विभाजन के समय जो अत्याचार और रक्तपात हुए उन्हें यह देश कभी भूल नहीं सकता। इस विभाजन ने भविष्य की भारतीय राजनीति और समाजनीति पर बड़े गहरे परिणाम छोड़े। जाति या धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, उस विभाजित राजनीति की जड़ें, आगे चलकर भी बहुत गहराई तक फैलती गई।

विभाजन के पश्चात् ऐसा महसूस होता है कि यह विभाजन धार्मिक नहीं; राजनीतिक है। इसके बारे में डॉ. राममनोहर लोहीया ने अपने ग्रन्थ "भारत विभाजन के अपराधी" में कहा है - राजनीति में नेतृत्व करनेवालों में से जिनमें सत्ता की तीव्र भूख रही उन्होंने अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के वशीभूत हो यह विभाजन स्वीकार लिया।[31] अधिकार और कुर्सी के मोह से इसवक्त राजनीति का एक विकृत रूप जनता के सामने आया।

इसके बारे में शिवकुमार शर्मा जी ने "सारिका" नवम्बर १९६३ ई. में कहा है कि, "विभाजन से पूर्व और बाद में जो भीषण दंगे हुए, बीभत्स जन - हत्याकाण्ड हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, आगजनी और लूटमार की दुर्घटनाएँ हुईं उनके पीछे गुण्डों और लीग के नेताओं के साथ अँग्रेजों का भी साथ था।[३२] और आगे इसका विश्लेषण करके कहा है "- "मेरी स्मृति के ये चित्र केवल मुझे इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि हत्या और बलात्कार केवल विभाजन के समय की तात्कालीक घटनाएँ ही नहीं थीं, किन्तु यह एक पूर्व - निश्चित, सुसंगठित और सुनिर्दिष्ट योजना थी, जो दो वर्ष पूर्व ही विदेशी शासकों और स्थानीय लीगियों के बीच गंठ चुकी थी। यह बात सत्य कही जा सकती है कि लार्ड माउन्टबेटेन आदि का इसमें हाथ नहीं था, लेकिन दूसरे अँग्रेज अधिकारी दूध के धुले थे यह नहीं कहा जा सकता। बिना तात्कालीन शासकीय सहायक के इतना बड़ा आतंक आर्गनाईज ही नहीं किया जा सकता था।[३३]

स्वार्थी लोगों के शासनतंत्र में घुस जानेसे तथा अँग्रेजों की कुटनीतिक चालोंसे सामान्य जनता पर किसप्रकार आघात हुए इसको भी शर्मा जी ने आगे स्पष्ट किया है। - "बाहर निकलने, मौके वारदात की मदद के लिए जाने सम्भालने के कर्फ्यू पास लीगियों को ही मिले हुए थे। अतएव जहाँ साधारण मिनिस्टर भी रात को बाहर नहीं निकल सकते थे, वहाँ लीग के नामपर कई गुण्डों को झुण्ड स्वतन्त्र और अनियन्त्रित घूमते फिरते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने उनके पास ताश के पत्तों की तरह कर्फ्यू पासों के ढेर देखे थे।

"आक्रमण के पूर्वक्रम की रूप रेखा स्पष्ट थी। जिस मोहल्ले में रात को आग लगाने और लूटमार कराने का कार्यक्रम बनता, उसके टेलीफोन दिनमें ही बिगड़ जाते थे। और शाम होते - होते पानी के नल सूख जाते और रात को जनता की सुरक्षा के लिये गश्त देनेवाली पुलिस और फौजी टुकड़ियाँ गाड़ियों से पेट्रोल लेकर आग लगाती जाती थीं।"[३४]

इस अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने जो भारतीय स्वतंत्रता एक्ट बनाया, उसके अनुसार अँग्रेजी शासन और देशी राज्यों के साथ हुई सारी सन्धियाँ समाप्त हो गयी और उन्हें निर्देश दिया गया कि या तो वे स्वतंत्र रह सकती है, या भारत और पाकिस्तान में से किसी एक के साथ मिल जाना चाहिए। यह कुत्सित साम्राज्यवादियों की एक भयंकर चाल थी। हिन्दु - मुस्लिम वैमनस्य को प्रोत्साहित तो उन्होंने किया ही, जिसकी चरम परिणति भारत और पाकिस्तान के विभाजन में हुई, साथ ही उन्होंने इस ऐक्ट से देशी राज्यों को भी छोटी - छोटी यूनिटों में बँटे रहने का कुचक्र रचा। अनेक रियासतेंउस समय किसी में भी न मिलकर स्वतंत्र रहना चाहती थी। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी ॥ पर सरदार पटेल की सूझ - बूझ, अपूर्व कुटनीतिज्ञता एवं सन्तुलित प्रयासों से सारी रियासतें भारत में मिल गई केवल जम्मू एवं कश्मीर की रियासत स्वतंत्र बनी रही ।[३५]

स्वतंत्रता प्राप्त होते ही पाकिस्तानी शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के प्रोत्साहन से कश्मीर को हड़प लेने और वहाँ ब्रिटेन का सैनिक अड्डा बनाने के निश्चय से अपनी सेनाओं को कश्मीर पर आक्रमण कर लेने की अनुमति दी। अत: पाकिस्तान ने २२ अक्टूबर १९४७ को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया ॥[३६] वह सेना के जोर पर काश्मीर को जबरदस्ती हथियाना चाहता था। पाकिस्तान की सशस्त्र फौजें स्यालकोट की ओर से बराबर काश्मीर में बढ़ती ही चली आ रही थीं और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कुछ ही दूरी पर रह गयी थी। कश्मीर की प्रजा तथा कश्मीर की रक्षा के लिये केन्द्रीय मंत्रिमंडळ की आवश्यक बैठक हुई और तुरन्त निर्णय लिया गया कि कश्मीर में फौज का मुकाबिला फौज ही करेगी। गाँधीजी से राय पूछी गयी तो उन्होंने समयानुसार दो टूक राय दी - "फौजों का मुकाबिला फौजे ही करेंगी ॥"[३७] तभी जनरल थिमैया के नेतृत्व में भारतीय सेनाएँ कश्मीर भेजी गईं। अपूर्व साहस एवं वीरता से भारतीय सेना ने कश्मीर की भूमि से पाकिस्तानी लुटेरों का सफाया किया।[३८]

इसीप्रकार हैदराबाद का प्रश्न भी जटिल हो गया। वह भारतवर्ष में सम्मिलित न हुआ। भारत सरकार ने समझौते का यथासम्भव प्रयत्न किया, परन्तु वे सभी विफल रहे। वहाँ का निजाम वास्तव में एक साम्प्रदायिक रजाकारों की हाथों की कठपुतली बन गया था। रजाकारों का नेता कासिम रिज्वी ही हैदराबाद का वास्तविक शासक बना हुआ था। उसने अपनी साम्प्रदायिक उग्रनीति से जनता को उत्पीड़ित करना आरम्भ किया। सैनिक साम्प्रदायिकता में ने चारों ओर हत्या अग्निकाण्ड और बलात्कार करना प्रारम्भ किया। अन्त में विवश होकर भारत वर्ष को नागरिकों की रक्षा के लिये सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। १३ सितम्बर १९४८ को भारतीय सेनाओं ने चार दिशाओं से हैदराबाद में प्रवेश किया और चार दिनों की लड़ाई के पश्चात् १७ सितम्बर १९४८ को हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया।[३९]

इन उपर्युक्त घटनाओं के अतिरिक्त, विभाजन परिणाम स्वरूप शरणार्थियों की समस्या, पंजाबी आन्दोलन आदि ऐसी आन्तरिक घटनाएँ थी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक संकट ग्रस्त स्थिति में डाले रखा। शरणार्थियों का आवागमन १९५५ - १९५६ तक चलता रहा। लगभग ५८ लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए। इन्हें अगणित शिविर बनाकर आश्रय देने, स्थायी रूप से आवास का प्रबन्ध करके बसाने, भोजन आदि का तथा रोजगार का प्रबन्ध करना, अपने आप में एक जटिल समस्या थी। इस समस्या से देश की अर्थ व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा।[४०]

जनतंत्र की स्थापना हो जानेपर भी भारतीय शासनतंत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। विभाजन से पूर्व जनता अंग्रेजों तथा लीगियों के अत्याचार से पीड़ित थी वह अब कांग्रेस के शासनतंत्र में कांग्रेसी नेताओं के अत्याचारों से ग्रस्त हुई। इसतरह इसवक्त की राजनीति में कुशासन, अफसरों और नौकरशाही का पतन, नेताओं की स्वार्थमयता से पीड़ित जनता का चित्र ही दिखाई देता है।

** सामाजिक अथवा साम्प्रदायिक परिस्थिति :-

१५ अगस्त १९४७ ई. को. हमारा देश ब्रिटिशों की गुलामी से मुक्त हुआ। स्वतंत्रता का एक महत्त्वपूर्ण स्थान व्यक्ति समाज या राष्ट्र के जीवन

में होता है। स्वतंत्रता के साथ ही अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए। उन प्रश्नों में देश का विभाजन और तज्जन्य स्थिति देश के लिये चुनौती थी। जून १९४७ ई. के प्रथम सप्ताह में निर्णय हो गया कि पंजाब को बाँटकर पश्चिम का आधा पंजाब पाकिस्तान में दिया जायेगा। लाहौर पाकिस्तान में जायेगा या हिन्दुस्तान में यह विवाद का विषय बन गया था। इस घोषणा ने दंगों की धीमे - धीमे सुलगती आती आग को एक बार फिर भड़का दिया। बड़ी संख्या में मुसलमानों के घर जलकर राख हो गये। मुसलमानों में आतंक बढ़ता गया मुसलमान बड़ी संख्या में लाहौर छोड़कर भागने लगे। मुस्लिम लीग ने उसी समय पाकिस्तान की स्थापना के लिए बंगाल और पंजाब को हिन्दु - बहुल और मुस्लिम बहुल भागों में बाँट देने की शर्त स्वीकार कर ली। इस समझौते ने और भी विकट संघर्ष को जन्म दिया। पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम बहुल और पूर्वी पंजाब के हिन्दू बहुल होने पर भी पश्चिम पंजाब में सिक्खों की संख्या अधिक थी। मुस्लिम - लीग लाहौर से पूर्व में बहुत दूर तक का भाग पाकिस्तान में चाहती थी तो हिन्दू पश्चिम में। इन साम्प्रदायिक दंगों के कारण पूर्व से मुस्लिम और पश्चिम से हिन्दू - परिवार शरण के लिये लाहौर में चले आ रहे थे।

विभाजन के पूर्व इस देश में हिन्दू - मुसलमान भाईचारे के नाते से रहते थे। विभाजन के पश्चात् ये पिशाच पशुवत व्यवहार क्यों करने लगे ? यह प्रश्न राजनीतिक तो है ही, साथ ही मानवीय भी है। साम्प्रदायिकता समाज और राजनीति में जहर घोलने का काम करती है। देश में जो भी दंगे - फसाद हुए, जातियों में विद्वेष का विष फैला, देश के दो टुकड़े हुए ये सब इसी के परिणाम हैं। साम्प्रदायिकता के कारण मनुष्य मनुष्य न रहकर पशु बन जाता है। हिन्दू और मुसलमानों का जो जीवन मानवीय दृष्टि से जाति या धर्म की दिवारों को लाँघकर घुलमिल गया था, वही इस विभाजन के कारण अभिन्नता से भिन्नता की ओर गया।

विभाजन के परिणामस्वरूप देश की राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति में प्रचंड बदलाव - सा आ गया साम्प्रदायिक दंगे, स्वतंत्रता के उल्लासमय वातावरण के बीच आदर्शों का विघटन, नैतिक मूल्यों का पतन, राजनीतिक दाँवपेंच,

समाजसुधारकों की स्वार्थी चाल, नंगी नारियों के जुलूस गरीब जनता का आत्म-बलिदान, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर लाखों लोगों का प्रयाण यह सब विभाजन के कारण ही हुआ।

देश - विभाजन की स्थिति से एक विशाल जनसमूह के उखड़ने और पुन: स्थापन की समस्या, नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख थी॥ "सदियों से अर्जित संस्कृति, जातीयता, भाषा, और संस्कार, मानवीय सम्बन्ध, मानवता के आदर्श, मानव - मूल्य और मानव जाति का विवेक साम्प्रदायिकता का आघात सह न सके। राजनीतिक अस्त - व्यस्तता ने उखड़े हुए वर्ग को भयाक्रान्त तो किया ही, उसकी परम्परा, उसका सामाजिक ढाँचा, सम्बन्धों की आस्था और परिवार की नींव को भी हिलाकर रख दिया। यह दुर्घटना राजनीतिक, आर्थिक रूप से जितनी भयंकर थी, सांस्कृतिक रूप में उससे कहीं ज्यादा त्रासदायी थी॥" साम्प्रदायिक झगड़े, अत्याचार, लूट - मार समाप्त होनेपर लाखों की संख्या में आए शरणार्थियों को रोजी - रोटी व आवास देना गरीब देश के लिए आसान कार्य न था। शरणार्थियों ने जीवन - यापन व स्थापन के लिए संघर्ष किया, सीमित साधनों में निर्वाह किया, छोटे-छोटे धन्धे करके अर्थोपार्जन किया। अपने पुरुषार्थ और सरकार की सहायता से शरणार्थियों ने छोटे - छोटे उद्योग शुरू किये। [४०]

भारत का विभाजन महात्मा गांधीजी को स्वीकार नहीं था। इससे उनकी दूरदृष्टि दिखाई देती है॥ क्योंकि आज भी हिन्दू - मुस्लिम समस्या का अन्त नहीं हुआ है। सन १९७२ ई. में बांगला देश के निर्माण ने यह सिद्ध कर दिया है कि जाति या धर्म के नाम पर देश का बँटवारा किसप्रकार गलत था। साम्प्रदायिकता चाहे हिन्दुओं द्वारा अपनाई गई हो, या मुसलमानों के द्वारा वह देश के लिये हानिप्रद सिद्ध हुई है।

स्वातंत्र्योत्तर विभिन्न समस्याओं मे जातीयता, घुसखोरी, बेकारी एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्या बनी है। स्वतंत्रता के बाद जातिवाद को प्रोत्साहन मिला॥ स्वतंत्रता के बाद भी सरकारी और गैरसरकारी

विभागों में घूसखोरी की प्रवृत्ति की अधिकता दिखाई देती है। राष्ट्रीय हित के मार्ग में बाधक के रूप में भ्रष्टाचार और घूसखोरी है। आज बेकारी और नौकरी प्राप्त करने की समस्या का कारण दफ्तरों में ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार और घूसखोरी है। इससे मध्यवर्ग के अस्तित्व की समस्या तीव्र हो गयी है॥

** आर्थिक परिस्थिति :-

विभाजन का कार्य केवल चार - पाँच सप्ताह में पूरा किया गया जिसमें न केवल भारत को आर्थिक हानि हुई वरन् कई आर्थिक प्रश्न उलझे ही रह गये। कश्मीर का प्रश्न देश का मुख्य विषय बन गया॥ औद्योगिक विकास की अपेक्षा सेना पर अधिक व्यय होने लगा। विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुर्नवास की समस्या प्रमुख बन गयी। सरकार के पास इतना समय भी नहीं था कि अन्य देशों से विनिमय करें॥ इसलिए इसवक्त शरणार्थियों के सामने आर्थिक समस्या तीव्र रूप धारण कर गयी॥

शरणार्थियों को अपनी आजीविका के लिए अनेक कष्ट उठाने पड़े, छोटे मोटे काम करने पड़े। इस समय अपनी आर्थिक समस्या दूर करने के लिए शरणार्थियों ने साइकिल पर गाँव - गाँव जाकर कपड़े बेचें, सड़क के किनारे चाय - पकौड़े की अस्थायी दुकाने चलायीं, स्त्रियों ने घर - घर जाकर साबुन, अखबार आदि बेचा, बर्तन मलना तथा गवर्नेस बनकर रहना शुरू किया। विभाजन के कारण लखपति लोग कंगाल हो गये, जो पहले महलों में रहा करते थे, उन्हे झोपडी भी नसीब न थी। परिवार के टूटने का कारण आर्थिक विपन्नता ही है।

जातिगत संकीर्णताओं के नष्ट होने पर भी, आर्थिक दबावों के कारण समाज का स्वस्थ प्रकृत रूप में उदय नहीं हो सका। सामंतवाद, नौकरशाही की चालों और पूँजीवादी स्वार्थों ने इस विकास में रुकावटें डालीं। इसवक्त सरकार द्वारा किये गये आर्थिक लाभों की व्यवस्था कुछ ही लोगों तक सीमित रह गयी और जिनको इसका लाभ न मिल सका वे गलत मार्गों से भ्रष्टाचार को अपनाकर उसेक प्राप्त करना चाहते थे।

विभाजन के बाद शरणार्थियों के आगमन ने जीवन - मूल्यों को अत्यन्त गहराई से प्रभावित किया। मार - पीट, कत्ल, असुरक्षा की यातना को भोगकर आनेवाला समाज भूखा और नंगा तो था ही, प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा और आत्मरक्षा के संशय से भरा हुआ था। इसलिये यह वर्ग अपने पुनर्वसन के लिये नये नैतिक मूल्यों और श्रम को स्वीकार रहा था। पुरुष वर्ग काम और व्यापार की तलाश में अधिकांशत: बाहर ही रहता था, अत: आर्थिक विपन्नता के कारण स्त्रियों को भी श्रम करना पड़ता था, कभी - कभी देह - विक्रय तक करना पड़ता था। इस वर्ग को तत्कालीन पूँजीवादी वर्ग का ही आश्रय मिला। इस वर्ग ने नगरों की नैतिक मान्यताओं को अधिक प्रभावित किया।

**साहित्यिक परिस्थिति :-

सन् १९४७ ई. के बाद विभाजन की इस साम्प्रदायिकता का चित्रण साहित्य में हिन्दु - मुस्लिम समस्या के परम्परागत रूप में, परस्पर संशय, अविश्वास आदि के विवरण, नृशंस, बर्बर रूप का यथार्थ वर्णन, बलिदानश्र और त्याग का वर्णन आदि सभी मानसिक स्थितियों, विकृतियों की अभिव्यक्ति हुई है॥

स्वाधीनता के साथ विभाजन की विडम्बनापूर्ण स्थिति को भी भोगना पड़ा। संकीर्ण साम्प्रदायिकता तथा पैशाचिक बर्बरता ने विभाजन के बाद जो कृत्य किये वह दिल दहला देते हैं, यह पाशविकता भीषण सामूहिक, हत्याकाण्डों, बलात्कारों, और नारी के अंगों को काट डाले, बरछी पर टांग कर किये गये दर्दनाक प्रदर्शन आदि के वर्णन लेखकों ने अपने साहित्य में प्रस्तुत किये हैं। इस अमानवीय परिस्थिति में भी साहित्य ने मानवीय मूल्यों की ओर समाज का मार्ग प्रदर्शन किया। साहित्य ने बर्बरता और पाशविकता का यथार्थ वर्णन किया है॥ इस काल के साहित्य में मानवीयता की अधिकता है॥ इस काल की भयावह तनावपूर्ण स्थिति जनता को असंतुलित कर गई, इसे सहने की जिनमें क्षमता नहीं थी वे पागल हो गये॥ उन सबका यथातथ्य रूप में स्वाभाविक चित्रण मानवीयता के स्तरपर ही हुआ है। शरणार्थियों के नये स्थानों पर जम

पाने, साथ ही नौकरशाही, लाल फिताशाही का सामना करना, इसके लिए मजबूरन झूठ बोलना, गलत व्यवहार करना इसका भी चित्रण इस काल के साहित्य में दिखाई देता है।

इस काल के साहित्य में विभाजन की समस्या से पीड़ित भूखी - नंगी, दु:ख, अविश्वास संशय, गलत प्रतिशोध की भावना से लिप्त पीढ़ि सामने आयी। इसवक्त शासन करनेवाले अपने स्वार्थ के कारण अपने सीमित दायरे में बँधे थे, नौकरशाही लोकतंत्र पर हावी थी, सभी ओर भ्रष्टाचार पनप रहा था, देश - प्रेम, राष्ट्रीय एकता तथा समाजवाद आदि का समाज में -हास हो गया था, समाज पर पैसेवालों का राज हो गया, गरीब पीड़ित वर्ग कुचल गये। विभाजन के बाद के साहित्य को उपर्युक्त सभी बातों ने प्रभावित किया।

विभाजन के बाद के साहित्य में जातिप्रथा की संकीर्णता, जमींदारों के अत्याचार, पूँजीपतियों के शोषण, दहेजप्रथा, सामाजिक बुराइयाँ, मानव की विडम्बना, शासकीय स्वार्थपरकता आदि पर कड़ा व्यंग्य किया गया है। अत: इस काल के लेखकों ने अपनी रचनाओं में नई संवेदनशीलता, मानवीय युगबोध, नई धारणाओं को चित्रित कर हिन्दी साहित्य को नया मोड़ दिया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों से विभाजन के पूर्व की और विभाजन के बाद की परिस्थिती का समग्र रूप अवलोकित होता है।

****

संदर्भ - सूची

१

१. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा, "आधुनिक हिन्दी कहानी - साहित्य में समसामयिक जीवन की अभिव्यक्ति", अनुपम प्रकाशन प्रथम संस्करण - १९८०, पृ. ४१

२. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा, "आधुनिक हिन्दी कहानी - साहित्य में समसामयिक जीवन की अभिव्यक्ति", पृ. ५१

३. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी, अनुवादक तुलसी परारे, सुगत प्रकाशन, प्रथमावृत्ती १९८१, पृ. ९ से अनुवादित.

४. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी," पृ. ११ - १२ से अनुवादित

५. डॉ. बी. आर. आंबेडकर "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी," पृ. १३ से अनुवादित

६. डॉ. बी. आर. आंबेडकर "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी, " पृ. १३ से अनुवादित

७. डॉ. बी. आर. आंबेडकर "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी," पृ. २४ से अनुवादित

८. डॉ. सुरेश सिन्हा, "हिन्दी कहानी: उद्भव और विकास," अशोक प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९६७, पृ. ४१६

९. गोविंद तळवलकर, "श्री [illegible] संस्तांतरण १९४७," श्री. पु. भागवत, मौज प्रकाशन, प्रथम संस्करण १९८३, पृ. ६१

१०. डॉ. लक्ष्मीनारायण गर्ग, "हिन्दी कथा साहित्य में इतिहास", अभिनव भारती प्रकाशन, प्रथम संस्करण, पृ. ५९-६०

११. डॉ. बी. आर. आंबेडकर "पाकिस्तान अथवा भारतीची फाळणी" पृ. २४ से अनुवादित

१२. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी" पृ. २९ से अनुवादित

१३. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी" पृ. ३० से अनुवादित"

१४. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा, "अधुनिक हिन्दी कहानी सा. में समसामयिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ७४

१५. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा "अधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य मे समसाम यिक जीवन की अभिव्यक्ति' पृ. ७४

१६. गोविंद तळवलकर, "सत्तांतरण १९४७," पृ. २८०

१७. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसाम-यिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ८०

१८. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसामायिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ७६

१९. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसाम-यिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ७७

२०. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसामा-यिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ७८

२१. डॉ. प्रेमचंद नारायण सिन्हा "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसाम-यिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ७८

२२. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसाम-यिक जीवन की अभिव्यक्ति पृ. ७८

२३. डॉ. चण्डी प्रसाद जोशी, "हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन," पृ. १९६

२४. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी" पृ. १६९

२५. डॉ. बी. आर आंबेडकर, "पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी" पृ. १७३

२६. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा, "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसामयिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ४६

२७. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा, "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसामयिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ४६

२८. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा, "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य मे. समसामयिक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ५०

२९. डॉ. एम. एल. मेहता, "स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी वस्तु विकास एवं शिल्प विधान" पृ. २६

३०. डॉ. बी. आर. आंबेडकर, "पाकिस्तान अथवा भारतीची फाळणी" पृ. १७७

३१. डॉ. प्रेमचंद्र नारायण सिन्हा "आधुनिक हिन्दी कहानी साहित्य में समसामयीक जीवन की अभिव्यक्ति" पृ. ९६

३२. एम. एल. मेहता, "स्वातंत्र्योत्तोर हिन्दी कहानी साहित्य में वस्तु विकास एवं शिल्प विधान" पृ. ३४

३३. एम. एल. मेहता, "स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी में वस्तु विकास एवं शिल्प विधान" पृ. ४४

३४. एम. एल. मेहमा, "स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी वस्तु विकास एवं शिल्प विधान" पृ. ५१

३५. डॉ. सुरेश सिन्हा "हिन्दी कहानी उद्भव और विकास" पृ. ५४५

३६. डॉ. सुरेश सिन्हा, "हिन्दी कहानी उदभव और विकास" पृ. ५४६

३७. अशोक पन्त, "गाँधी शताब्दि और भारत" पृ. १६६

३८. डॉ. सुरेश सिन्हा "हिन्दी कहानी उद्भव और विकास" पृ. ५४५

३९. डॉ. सुरेश सिन्हा "हिन्दी कहानी उद्भव और विकास" पृ. ५४६
पृ. ५४७

४०. डॉ. लक्ष्मीनारायण गर्ग, "हिन्दी कथा साहित्य में इतिहास" पृ. ६३

४१. मंजुला गुप्ता "हिन्दी उपन्यास समाज और व्यक्ति का द्वन्द" पृ. २५